

3/4/25

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट अनु।
वकील अपीलान्ट एवं अपीलान्ट का
न्यायालय की ओर से बार-बार
भावाजें लगाई गई लेकिन उनकी ओर
से कोई उप. नही मायें। अतः पत्रावली
अबुम हाजरी एवं अबुम पैरवी में
स्वारिज की जाती है। पत्रावली फेमल
शुमार होउर नम्बर से कम होउर
दाखिल दफतर है।